छीलावाली

11-11-24

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का महरोली

किस्म मुकदमा - प्रा0पत्र प्रचलित रास्ता अधा 131 एल आर एक्ट — मुकदमा नम्बर 117/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
11.11.2024	तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्रांक 2869/भू.अ./2024 दिनांक 30.10.2024 के द्वारा अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम छीलावाली में किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता अन्तर्गत धारा 131, 132 एल. आर. एक्ट मुकदमा सख्या. 83/2024 दिनांक 17.09.2024 को प्रचलित रास्ता कटान का आदेश प्राप्त होने तथा ग्राम छीलावाली के नक्शा लट्टा पुराना व जीर्ण शीर्ण होने से खसरा नम्बर 100/2 व 101/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 100/1 व 101/2 सहवन से लिखा गया तथा उसी अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा प्रचलित रास्ते का निर्णय पारित हो गया। उक्त पारित निर्णय में खसरा नम्बर 100/1 व 101/2 के स्थान पर 100/2 व 101/1 दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा किया गया है। प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये दुरूस्ती प्रस्ताव व संलग्न दस्तावेजात संशोधित नक्शा ट्रेस इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का महरोली द्वारा प्रचलित रास्ता का प्रस्ताव तैयार करते समय ग्राम छीलावाली के नक्शा लट्टा पुराना व जीर्ण शीर्ण होने के कारण भूमि खसरा नम्बर 100/2 व 101/1 के स्थान पर भूमि खसरा नम्बर 100/1 व 101/2 सहवन से लिखा जाना प्रकट होता है। जिसके कारण उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होना पाया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये संशोधित प्रस्ताव न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के मुकदमा संख्या 83/2024 उनवानी तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का महरोली में पारित आदेश दिनांक 17.09.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त पारित निर्णय में ग्राम छिलावाली के भूमि खसरा नम्बर 100/1 व 101/2 के स्थान पर 100/2 व 101/1 संलग्न संशोधि[illegible]स अनुसार दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति [illegible] रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती [illegible] तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली [illegible]ल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	4139/रीडर 13-11-2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:21:56 IST
Reason: SelfAttested